

सं०सं०-1/ना०अ०-04/2017- 521090

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक- 17/10/2017

विषय:- नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड-20-2210011100004 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आय-व्ययक में उपबंधित राशि एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से कुल रू० 4,00,500/- (रुपये चार लाख पाँच सौ) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पत्रांक-10 दिनांक-01.07.2017 के आलोक में नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड- 20-2210011100004 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में आय-व्ययक में उपबंधित राशि एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से कुल रू० 4,00,500/- (रुपये चार लाख पाँच सौ) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

| विषय शीर्ष | बजट उपबंध | पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध | कुल उपबंध | पूर्व का कुल आवंटन | वर्तमान आवंटन | अद्यतन कुल आवंटन | शेष राशि |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|----------|
| 0004.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 1000 | 400000 | 401000 | 500 | 400500 | 401000 | 0 |
| कुल योग- | 1000 | 400000 | 401000 | 500 | 400500 | 401000 | 0 |

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2), दि०-17.04.98, 2880/वि०(2), दि०-06.05.06, 96/वि०(2), दि०-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०-17.03.08, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।


4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0004-नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश सं०-1183(1) दिनांक-10.10.2017 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त एवं आय-व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायेगा।



क्रमशः

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
7. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।
8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
9. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


16/10/17
(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ना०अ०-04/2017- 52090 /स्वा०, पटना, दिनांक- 17/10/2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/ना0अ0-05/2017-1183(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 10/10/2017

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0004-नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100004 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0004.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0004.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू० 4,00,000/- (रुपये चार लाख) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0004-नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561 वि०(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं० 2419 वि०(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि०(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-1/ना0अ0-05/2017-1183(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 10/10/2017

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव